

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान-2008) के नियम 19 एवं पुनरक्षित वेतनमान नियम 2017 के अनुसार प्रधानाचार्य/उप प्रधानाचार्य को राज्य सेवा में 10/20/30 वर्ष निरन्तर संतोषजनक सेवा पूर्ण करने पर आश्वासित कैरियर प्रगति (एसीपी-I/II/III) निम्नानुसार स्वीकृत की जाती है :-

क्र.स.	नाम अधिकारी व पदस्थापन स्थान सर्वश्री/श्रीमती	पद	जन्म तिथि	प्रथम नियुक्ति पर कार्यगृहण तिथि	10/20/30/वर्ष पूर्ण करने की तिथि	प्रथम/द्वितीय व तृतीय एसीपी देय तिथि	एसीपी दिये जाने पर देय ग्रेड-पे/पे-लेवल
1	मदन लाल शर्मा, राउमावि मालमाथा पंस. बिछीवाडा जिला डूंगरपुर	प्रधानाचार्य (सेवानिवृत्त)	05-08-1958	03-Sep-82	20 year 22-Nov-16	23-Nov-16	6800/- L-17

उपरोक्त अधिकारियों को वेतन निर्धारण नियमानुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जावेगा एवं संबंधित की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से इसका इन्द्राज करेंगे।

(काना राम)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक : 11.08.2023

क्रमांक : शिविरा-माध्य/संस्था/ए-3/एसीपी/मदनलाल शर्मा/2023

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, उदयपुर संभाग, उदयपुर।
- 2 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा कोउक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
- 3 जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय), माध्यमिक, डूंगरपुर
- 4 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, बिछीवाडा जिला डूंगरपुर
- 5 प्रधानाचार्य राउमावि मालमाथा पंस. बिछीवाडा जिला डूंगरपुर
- 6 श्री मदन लाल शर्मा, राउमावि मालमाथा पंस. बिछीवाडा जिला डूंगरपुर
- 7 निजी पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

Signature valid

Digitally signed by Kana Ram
Designation: Director
Date: 2023.08.09 22:56:56 IST
Reason: Approved

ACP order online

RajKaj Ref No. : 4124334

